

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013

जयपुर दिनांक 18/2/FEB 2013

- आदेश -


इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2010-पार्ट दिनांक 24.9.2010 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी बरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित राजकीय आवास का उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है:-

क्र.सं.	बरियत संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	127/2008	श्री देवेन्द्र पाल मीणा सहायक विधि परामर्शी पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	III/70 गाधीनगर	III/66 गाधीनगर	31.12.2029

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 8 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 8 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. संबन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटि के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिखा जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(मनामूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी एवं कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाधीनगर/ जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अगल में लावे।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

12. प्रत्येक निर्देशक राजकीय प्रथम तल राजस्व भवन जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का क्रम करावे।
13. सहायक अभियन्ता राजकीय निर्माण विभाग, जोशी गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश को आई संख्या-8 को पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
14. श्री वेवेन्द शल शीमा सहायक सिविल इंजीनियर, पशुपालन, राज्य एवं डेयरी विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया परिचालित आवस संख्या हा/60 गांधीनगर का नक्का लेवन पूर्व आवंटित आवस संख्या हा/70 गांधीनगर रिक्त बन सूचित करावे।
15. शासन सचिवालय सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग।
16. निजी सचिव अति. मुख्य सचिव शासन सचिव शासन सचिव साक्षर।
17. अतिरिक्त निजी सचिव शासन उप सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
18. सीतल मजदारी।

  
 (सहायक सचिव)  
 शासन सचिवालय